यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खनन अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला खनन अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) के माह 04/2017से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आशीष तडियाल(व.ले.प.) श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी (स.ले.प.अ.) श्री एस.एस. दरियाल(स.ले.प.अ.) द्वारा दिनांक 17-08-18 से 29-08-18 तक श्री पी. के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी0के0श्रीवास्तव एवं श्री कलवंत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19-01-2018 से 27-01-2018 तक श्री नवीनचन्द्र शंखधर, लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- सम्पूर्ण जनपद नैनीताल

3. (ii) (अ)**राजस्व विवरण**

विगतवर्षोमेकार्यालय द्वाराअर्जितराजस्वकाब्यौरानिम्नवत्है

वर्ष	अर्जितराजस्व (रू लाख में)
2015-16	8696.01
2016-17	11878.05
2017-18	13586.32

(ii)(ब) बजटकाविवरण:-विगतवर्षोंमेंबजटआबंटनएवंव्ययकीस्थितिनिम्नवतहैः(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैरस्थापना`	आवंटन`	व्यय`	आवंटन`	व्यय`		
2015-16			50000	17211	21417000	15136244	-	6313545
2016-17			200000	154002	26848000	17835898	-	9058100
2017-18			-	-	22737000	21082275	-	1654725

(स) केन्द्रपुरोनिधानितयोजनाओंकेअन्तर्गतप्राप्तनिधिएवंव्ययविवरणनिम्नवतहैः

वर्ष	योजनाकानाम	प्रारम्भिकअवशेष`	प्राप्त`	व्ययअधिक्य(+) `	बचत(-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन: शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0 ओ0 द्वारा सभी जनपदों को किया जाता है|गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव-अपर सचिव-निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक–उपनिदेशक(भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी)- खान अधिकारी/सहायक भूवैज्ञानिक- सर्वेक्षक

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षामें **जिला खनन अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खनन अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi)**विस्तृतजांचहेतुमाहकाचयन**:-

राजस्व: माह 03/18 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 09/2017 कोविस्तृतजांच(व्यय) हेतुचयनितकियागया।

(vii) योजनाकाचयन :-लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डीपीसी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर 01- निर्माण इकाइयों द्वारा अवैध खनन करने पर अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना ₹14.44 करोड।

"उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23 (2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्डर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति (जिला खान अधिकारी, सदस्य सचिव) से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा।
सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM-8/MM-1 तथा तदनुसार आवेदन शुल्क क्रमश: अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 5000/- व चुगान पट्टे हेतु ₹100000/-निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुये आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ताकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।
कार्यालय जिला खनन अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त लिखित निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। जबकि उक्तलिखित निर्माण इकाइयों के द्वारा रॉयल्टी के रूप में (12 कार्यदायी इकाइयां) **₹36108012**/- जमा किया गया था। यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत किये जाते तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता, लेकिन विभाग के द्वारा नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण उपखनिजो का अवैध खनन, परिवहन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया था । जिससे राजस्व हानि हुई। प्रदेशांतर्गत किसी भी प्रकार

का उप खनिज बिना अनुज्ञा पत्र /पट्टा के खनन नहीं किया जा सकता है लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिजों का खनन कर निर्माण कार्यो में प्रयुक्त किया गया और रॉयल्टी जमा किया गया था। जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर, 2016 के अनुसार अवैध उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किए जाने का प्रावधान है। खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण शासन को 144432048.00 (36108012.00x5=180540060-36108012.00) की हानि हुई, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने लेखा परीक्षा ज्ञाप में उल्लिखित प्रश्नो को स्वीकारते हुये बतया कि जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को अवगत कराया जाएगा तथा उनके माध्यम से वसूली की कार्यवाही की जाएगी। विभाग की उत्तर से स्पष्ट है कि यथा नीति/ नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप 14.44 करोड़ अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला नहीं गया है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-(दो) अ

प्रस्तर-02 जिला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि एवं क्षतिपूर्ति की वसूली न किया जाना ₹ 1.44 करोड।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1585/VII-1/80-ख/2016, दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 के अनुसार उप खनिज की निकासी हेतु निगमों तथा निजी भूमि में निम्नानुसार दरों से शुल्क निर्धारित किया जाना था:-

1- रॉयल्टी
2- स्टांप शुल्क रॉयल्टी का प्रतिशत 2
3- रिवर ट्रेनिंग एवं विकास शुल्क रॉयल्टी का प्रतिशत 15
4- विकास शुल्क रॉयल्टी का प्रतिशत 10
5- क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का प्रतिशत15
6- पट्टाधारकों के द्वारा किया गया खर्च यथा पर्यावरणीय अनुमति खर्च, सीमांकन खर्च, आवेदन खर्च आदि

एवं उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16, दिनांक 17 नवंबर, 2017 उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2) (5) न्यास निधि हेतु अंशदान के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त रूप से जमा करेंगे। यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रबृत हुई समझी जाएगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हल्द्वानी (नैनीताल) की लेखा परीक्षा के दौरान सरकारी निर्माण इकाइयों जिसके द्वारा सीधे जमा की गयी रॉयल्टी का विवरण मांगा गया, के अनुसार कुल रॉयल्टी ₹ 36108012.00 सीधे जमा की गई थी का 40 प्रतिशत धनराशि ₹14443205.00 (36108012x 40%) जमा किया जाना था, (विवरण संलग्न) जो कि जमा नहीं की गई है। इसे इंगित करने पर विभाग द्वारा बताया कि वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

अतः 01.44 करोड़ जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास एवं क्षतिपूर्ति की वसूली न किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

जिला नैनीताल के सरकारी/गैर सरकारी निर्माण इकाईयों/ कार्यालयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में बिना e-form "MM-11" एवं e-form "J" के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि का विवरण

क्र सं	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पत्र के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि का विवरण	40% जिला खनिज न्यास निधि एवं क्षतिपूर्ति मद में जमा का विवरण
1	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (PWD) हल्द्वानी	-	-
2	अधिशासी अभियंता, रष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड (PWD) हल्द्वानी	2506690.00	शून्य
3	अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड (PWD) नैनीताल	-	-
4	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-1 (PWD), नैनीताल	-	-
5	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-2 ए0डी0बी0, (PWD), नैनीताल	-	-
6	अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक खण्ड, (PWD), नैनीताल	-	-
7	अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, हल्द्वानी	3110460.00	शून्य
8	अधिशासी अभियंता, ट्यूब वेल खंड हल्द्वानी	9112.00	शून्य
9	अधिशासी अभियंता, जमरानी डैम खंड हल्द्वानी	-	-
10	अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड (PWD), भवाली	3120834.00	शून्य
11	अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD), भवाली	840326.00	शून्य
12	अधिशासी अभियंता, तराई सिंचाई खण्ड, नैनीताल	4790965.00	शून्य
13	अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, भीमताल	1407843.00	शून्य
14	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड (PWD) रामनगर	-	-
15	अधिशासी अभियंता, ई/एम खंड (PWD) भीमताल	-	-

16	अधिशासी अभियंता, पेयजल निर्माण इकाई, नैनीताल/ हल्द्वानी	-	-
17	अधिशासी अभियंता, नल कूप खंड, रामनगर	261275.00	शून्य
18	अधिशासी अभियंता, कौसी निर्माण खंड रामनगर	-	-
19	अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खंड काठगोदाम	8426619.00	शून्य
20	अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खंड सिंचाई, ज्योलीकोट	7116457.00	शून्य
21	अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खंड जमरानी, हल्द्वानी	शून्य	शून्य
22	अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 ए0डी0बी0(आपदा) खंड नैनीताल	4458982.00	शून्य
23	अधिशासी अभियंता, जमरानी बांध निर्माण खण्ड द्वितीय हल्द्वानी	58449.00	शून्य
24	मुख्य नगर पालिका/ निगम, अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी रामनगर / हल्द्वानी /नैनीताल	-	-
25	विभागाध्यक्ष/ नगर आयुक्त विकास प्राधिकरण, हल्द्वानी/नैनीताल (वर्ष 2017-18 में निर्माणाधीन बहुमंजिला भवनो की पता एवं प्राक्कलित निर्माण मूल्य सहित सूची)	-	-
26	**उक्त के अतिरिक्त कोई अन्य बृहत निर्माण कार्य जिले में निर्माणाधीन हो, को भी सूची में शामिल कर सूचना उपलब्ध करने हेतु पत्र प्रेषित करने की कृपा करें**		
		36108012.00	

भाग-(दो) अ

प्रस्तर- 03 **नियमानुसार/नीतीनुसार स्टोन क्रेशर स्वामियों से वार्षिक शुल्क जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप ₹18.50 लाख की राजस्व क्षति।**

उत्तराखंड शासन औध्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय ज्ञाप सं॰ 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनाँक 19.11.2016 के अंतर्गत उत्तराखण्ड स्टोन क्रैशर अनुज्ञा नीति 2016 के अध्याय I के बिन्दु 9 के अनुसार पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रैशर स्वामियों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांट की क्षमता (टन/घण्टा के अनुसार) घोषित किया जाना था।

अध्याय-III- के बिन्दु 1(1) के अनुसार स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/ हाट मिक्स प्लांट, रैडि मिक्स प्लांट का नवीनीकरण/ वार्षिक शुल्क अध्याय-II के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत होगा।

उक्त के सम्बंध में कार्यालय जिला खान अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) के अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया कि उल्लिखित नियमानुसार/नीतिनुसार संलग्न विवरण पत्र में उल्लिखित 05 स्टोन क्रेशर स्वामियों के द्वारा वार्षिक शुल्क ₹1850000/- जमा नही किया गया है अतः राजस्व की हानि हुई है। इसे इंगित करने पर विभाग बताया गया कि “शीघ्र ही जमा करवाकर सूचित किया जाएगा”। अतः नियमानुसार/नीतीनुसार स्टोन क्रेशर स्वामियों से वार्षिक शुल्क जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप 18.50 लाख की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

जनपद नैनीताल में स्थित स्टोन क्रशर जिनके द्वारा वार्षिक शुल्क जमा नहीं किया गया है।

क्र सं	स्टोन कषर का नाम	क्षमता	कब से जमा किया जाना है	आवेदन शुल्क	धनराषि जो जमा की जानी ळे(₹ में) (आवेदन शुल्क का 25%)
1.	श्री गुरूहरराय स्टोन क्रैशर, ग्राम सोबनपुर, तह0 रामनगर जिला नैनीताल	100 टन प्रतिघण्टा	वर्ष 2016–17 एवं 2017–18	20,00,000	₹ 5,00,000.00
2.	बैजनाथ स्टोन इण्डस्ट्रीज प्रा.लिमि0, ग्राम मल्लागांव, बेतालघाट	50 टन प्रतिघण्टा	वर्ष 2016–17 एवं 2017–18	10,00,000	₹ 2,50,000.00 (पर्वतीय क्षेत्र)
3.	मां0 गिरीजा स्टोन क्रैशर, ग्राम तल्लागांव, बेतालघाट	30 टन प्रति घण्टा	वर्ष 2016–17 एवं 2017–18	10,00,000	₹ 2,50,000.00 (पर्वतीय क्षेत्र)
4.	देवभूमि स्टोन कम्पनी प्रा0लिमि0 ग्राम किषनपुर सकुलिया, मोटाहल्दू	100 टन प्रतिघण्टा	वर्ष 2016–17 एवं 2017–18	20,00,000	₹ 5,00,000.00
5.	प्रकाष स्टोन क्रैशर, ग्राम सोबनपुर, तह0 रामनगर	300 टन प्रतिघण्टा	वर्ष 2016–17	14,00,000	₹ 3,50,000.00
				74,00,000	₹ 1850000

भाग-दो (अ)

प्रस्तर- 04 पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क विलम्ब से जमा करने पर ब्याज आरोपित न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹11.84 लाख की राजस्व क्षति।

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1873/**VII-1/16/158-**ख/04 टीसी देहरादून दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के नियम 11 (घ) के अनुसार खनिज का परिवहन इस नियमावली से संलग्न ई -फार्म -"जे" में अभिवहन पास जारी किए बिना, भंडारण परिसर में से किसी अन्य स्थान को नही करेगा; परन्तुक स्टोन क्रेशर /स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी द्वारा वार्षिक शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा न करने की दशा में तैयार माल के परिवहन हेतु एवं रिटेल भंडारंकर्ताओ द्वारा निर्धारित देय शुल्क जमा न करने की दशा में खान अधिकारी द्वारा ई-फार्म प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जाएगा।

नियम 11 झ(2) के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालको को क्रश्ड मेटरियल की मात्रा पर ₹1.00 प्रति कुंटल की समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक -0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त के परीपेक्ष्य में कार्यालय जिला खनन अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) की लेखा परीक्षा के दौरान स्टोन क्रेशर भंडारण से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया कि 10 स्टोन क्रेशर भंडारकों के द्वारा पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क देरी से जमा किया गया है, जिस पर बकाया रॉयल्टी की तरह 24 प्रतिशत ब्याज आरोपित कर वसूला जाना था, लेकिन विभाग के द्वारा कोई ब्याज आरोपित कर वसूला नहीं गया है। जबकि उल्लिखित नियमानुसार शुल्क की देयता की स्थिति में खान अधिकारी द्वारा ई-फार्म प्रपत्र "जे" जारी नहीं किया जाएगा। इस प्रकार देरी से शुल्क जमा करने के कारण **₹1183976.64 की हानि हुई है। इसे इंगित करने पर विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये "शीघ्र ही वसूली की जाएगी" ।**

अतः पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क देरी से जमा करने पर ब्याज आरोपित न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹11.84 लाख की

वसूली न किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

देरी से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा करने वाली स्टोन क्रेशर भंडारकों की सूची एवं ब्याज का विवरण

क्रसं	स्टोन क्रेशर का नाम	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा की तिथि (आगामी माह की दिनांक 15 तक देय)	देरी से जमा की गई माहो का विवरण एवं धनराशि		विलम्ब की अवधि		आरोपणीय ब्याज की धनराशि	योग
					माह	दिन		
1	मै0 पी0एन0सी0 इंफ्राटेक लिमिटेड	09/08/2018	08/2017	540	10	25	116.88	169171.77
			11/2017	62749	07	25	9816.35	
			12/2017	377039	06	25	51442.58	
			01/2018	365213	05	25	42524.80	
			02/2018	418014	04	25	40312.58	
			03/2018	326519	03	25	24958.58	
2	मै0 हिमालय ग्रिट्स बरेली रोड हल्द्वानी	18/04/2018	11/2017	11117	04	03	911.29	33248.84
			12/2017	251917	03	03	15611.44	
			01/2018	235426	02	03	9881.44	
			02/2018	311486	01	03	6844.16	
3	मै0 जे0पी0 स्टोन क्रेशर	13/08/2018	01/2018	237828	05	29	28317.82	68747.08
			02/2018	198262	04	29	19641.52	

			03/2018	262908	03	29	2078774	
4	मैं0 पाल स्टोन इंडस्ट्रीज़	02/08/2018	03/2018	1693265	03	18	121636.74	12136.74
5	मैं0 हिमालया स्टोन इंडस्ट्रीज़	18/04/2018	11/2017 12/2017 01/2018 02/2018	45431 314226 424611 394038	04 03 02 01	03 03 03 03	3724.10 19473.40 17822.03 8658.04	49677.57
6	मै0 विनोद स्टोन क्रेशर	11/07/2018	11/2017 12/2017 01/2018	17414 470024 466067	06 05 04	26 26 26	2387.38 55037.88 45253.19	188298.28
		24.07.2018	02/2018 03/2018	576282 547757	**04** **03**	**9** **9**	49512.89 36106.94	
7	मै0 देव भूमि स्टोन कंपनी	01/05/2018	11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018	76730 374784 343378 436437 420453	04 03 02 01 -	16 16 16 16 16	6945.64 26429.97 17347.64 13320.30 4423.40	68466.95
8	मै0 सुभाष स्टोन इंडस्ट्रीज	02/08/2018	10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018	319874 300514 320894 347411 260923 517587	08 07 06 05 04 03	**18** **18** **18** **18** **18** **18**	54965.75 45628.73 42305.26 38852.92 23962.02 37181.18	242895.86
9	मै0 कृष्णा स्टोन इंडस्ट्रीज प्रा0 लिमि0	02/08/2018	11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018	201206 242007 233993 301216 316317 319703	07 06 05 04 03 02	**18** **18** **18** **18** **18** **18**	30550.24 31905.14 26168.75 27662.36 22722.83 16572.00	155581.32

10	मै0 एल0एस0सी0 इंफ्राटेक हाथीखाल	20/04/2018	01/2018 02/2018 03/2018	1289139 1166766 996796	02 01 -	05 05 05	55803.83 27171.26 3277.14	86252.23
							महायोग	**1183976.64**

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-: 05 ₹758.10 लाख रॉयल्टी कम वसूला जाना।

कार्यालय जिला खनन अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) की लेखा परीक्षा के दौरान वन विकास निगम को आवंटित खनन लाटों से संबन्धित अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा वन विकास निगम को उपखनिज के 03 लाटों को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत खनन लाटों में से गौला नदी हेतु खनन सत्र 2017-18 के लिए रॉयल्टी ₹750656657 निर्धारित किया गया था, के सापेक्ष ₹674850000 रॉयल्टी जमा किया गया था, जो कि निर्धारित रॉयल्टी से ₹ 75806657 (750656657-674850000) कम रॉयल्टी जमा/प्राप्त किया गया था। विभाग ने कम जमा रॉयल्टी के सापेक्ष वसूली हेतु कार्यवाही किए जाने का अभिलेखों में कोई साक्ष उपलब्ध नहीं था।

क्र. सं.	नदी का नाम	स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वीकृत मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी दर प्रति घन मीटर	निर्धारित रॉयल्टी	वास्तविक प्राप्त रॉयल्टी	कम रॉयल्टी प्राप्त
1	गौला नदी	1497	4014206.72	187	750656657	674850000	(-)75806657

उक्त को इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि ICAR-Indian Institute of Soil & Water Conservation द्वारा वर्ष 2017-18 में गौला नदी से उपखनिज निकासी मात्रा का निर्धारण किया गया, जिसके अनुसार गौला नदी का लक्ष्य 4014206.72 घन मीटर निकासी का निर्धारित किया गया है

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के द्वारा निर्धारित मात्रा के सापेक्ष कम रॉयल्टी जमा किए जाने पर वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गया था।

अतः 7.58 करोड रॉयल्टी कम वसूल किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर 06 वन विकास निगम के द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में धनराशि जमा न करने के फलस्वरूप ₹19.59 करोड़ की हानि।

उत्तराखंड शासन औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1621/VII-1/2017/8ख /16 देहरादून दिनांक 17 नवंबर, 2017, उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के अनुसार **यह दिनाँक 12 जनवरी,2015 को प्रबृत हुई समझी जायेगी। यह सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होगा। उल्लखित गज़ट के नियम 10 (2) के अनुसार समस्त उपखनिज पट्टाधारक रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।** उत्तराखंड शासन औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1998/VII-1/2016/80-ख /16 देहरादून दिनांक 14 फरवरी, 2018 के अनुसार भी **पट्टाधारक रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रॉयल्टी के अतिरिक्त उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा करेंगे। इसके** परीपेक्ष में

वन विकास निगम को आवंटित खनन क्षेत्रों की अभिलेखो की लेखा परीक्षा में पाया कि विभाग द्वारा वन विकास निगम को आवंटित खनन क्षेत्रों से उपखनिज कि निकासी के मात्रा पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा नहीं कराया जा रहा है। वन विकास निगम के द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल 783536000 रॉयल्टी जमा किया है। उक्तलिखित नियमानुसार 195884000 (783536000x25%) वन विकास निगम द्वारा उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप 195884000 की हानि हुई है। इसे इंगित करने पर विभाग ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुये बताया कि " वन विकास निगम द्वारा DMF में धनराशि जमा नहीं करने के कारण इस कार्यालय के द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई देहरादून को अवगत करवाया जा चुका है। अतः वन विकास निगम के द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में धनराशि जमा न करने के फलस्वरूप 19.59 करोड़ कि हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
RS/DMO-14/2016-17	01,02	01,02

RS/DMO-109/2017-18	01,02	01,02

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : विभाग द्वारा अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

व्यय से संबन्धितविगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण: व्यय नहीं किया जाता है।

भाग-IV

इकाईकेसर्वोत्तमकार्य

(1) राजस्वसेसंबंधितइकाईद्वारा**निष्पादित अच्छे कार्य-समस्त अभिलेखों का रख रखाव ठीक से किया गया है।**

(2) व्ययसेसंबंधितइकाईद्वारा**निष्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध

कराने हेतु **जिला खनन अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

2.सतत्अनियमितताएःशून्य

3.लेखापरीक्षाअवधिमेंनिम्नलिखितअधिकारियोंद्वाराकार्यालयाध्यक्षकाकार्यभारवहन कियागया

क्रमसं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री राजपाल लेघा	उपनिदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला खनन अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (राजस्वक्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षाअधिकारी/राजस्व